स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कार्मिक नहीं

मसूदा(निसं)। प्रदेश की स्कूलों में शिक्षको को विभिन्न गैर शैक्षणिक व लिपिकीय कार्यो के साथ साथ स्कूल के दरवाजे व ताले खोलने व बन्द करने,घंटी बजाने,कक्षा कक्षो में झाड़ू लगाने,घंटा वादन ,पानी टंकी की सफाई ,कॉम्बो पैक व तेल,पाठ्य पुस्तके वितरित करने में हम्माली करने के कार्यो के साथ फोटो कॉपी करवाने जाने जैसे अनेक चतुर्थ श्रेणी कार्मिको के कार्य भी करने पड़ रहे है।जिसके कारण शिक्षको में भारी आक्रोश व्याप्त है।

राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष रतन सिंह देवड़ा जिला मंत्री रघुवीर सिंह चौहान बताया कि प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजकर निवेदन किया कि राज्य में तकरीबन 64963 स्कूले है जिनके लिए चतुर्थ श्रेणी कार्मिको के 24804 पद स्वीकृत है जबकि 5741के करीब कार्यरत है।वहीं जमादारों के 421 स्वीकृत पदों के विरुद्ध केवल 110 जमादार ही कार्यरत है।इस प्रकार राज्य के 64963 स्कूलों में कुल 5851 चतुर्थ श्रेणी कार्मिक व जमादार कार्यरत है जो कुल स्कूलों के 1 प्रतिशत भी नहीं है।वर्तमान में किन्ही स्कूलों में 2 से 3 चतुर्थ श्रेणी कार्यरत है तो अधिकांश विद्यालयों में एक भी नसीब नही है।संगठन के प्रदेशाध्यक्ष श्री नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य में वर्तमान में च.श्रे.क व जमादारों के कुल 25225 पद स्वीकृत है जिनके विरुद्ध 5851 कार्मिक ही कार्यरत है।कुल स्वीकृत पदों के 77 प्रतिशत पद रिक्त है। विगत वर्षों में नव सृजित व क्रमोन्नत स्कूलो की संख्या बढ़ी है जिसके कारण स्कूलो की संख्या 64963 के करीब पहुंच गई है।ऐसे में एक स्कूल में एक चतुर्थ श्रेणी कार्मिक की आवश्यकता माने तो 64963 कार्मिको की जरूरत है वहाँ 5851 के करीब ही कार्मिक कार्यरत है जो 1 प्रतिशत से भी कम है।इन कार्मिको में से अधिकांश डीईओ,सीबीईओ सीडीईओ कार्यालयों में नियुक्त कर रखे है जिससे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जिम्मे के कार्य भी शिक्षको को निपटाने पड़ रहे है।संगठन के प्रदेश सभाध्यक्ष श्री अरविंद व्यास ने बताया कि शिक्षक अध्यापन कार्य करे या लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कार्मिको के कार्य निपटाए अथवा बच्चों से काम करवाये।जबकि नियमानुसार बच्चों से काम करवाया नहीं जा सकता ।संगठन के प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री श्री रवि आचार्य ने बताया कि वर्तमान में स्कूलों में स्कूल बंद करने व कालांश बजाने के कार्य का भी बंटवारा भी शिक्षको में किया जा रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण है।संगठन की प्रदेश महिला मंत्री श्रीमती जयमाला पानेरी ने कहा कि वर्तमान में शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पिछले कई साल से बंद कर रखी है। इसके चलते जिस स्कूल से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रिटायर हो जाता है, वहां उस पद पर दुबारा किसी की नियुक्ति नहीं होती।

राघपुरा विद्यालय में पुस्तकालय का उद्घाटन

मसूदा, 22 मार्च (निसं)। बुधवार को किंडर मिशनवर्क के सहयोग व दिशा आरसीडी समाज सेवी संस्था अजमेर द्वारा क्रियान्वित नॉलेजहट परियोजना थर्ड के तहत मसूदा ब्लाक के चयनित 25 राजकीय विद्यालय में पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है इसी क्रम में मंगलवार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय- रामपुरा एवं राजकीय उ.प्राथ.विद्यालय-सालरमाला-।। मे किंडर मिशन वर्क जर्मनी से मेडम मार्टिना व डॉ काजा मेडम ने दोनों विद्यालय में पुस्तकालय का फीता काटकर उद्घाटन किया।

भूल सुधार

राष्ट्रदूत अजमेर संस्करण में दिनांक 4 मार्च 2023 को पृष्ठ संख्या 4 पर प्रकाशित किशनगढ़ कोर्ट सम्मन सत्यनारायण वगै परिवादी में दिनांक 10 अप्रैल 2023 को उपस्थित समय 2 बजे के स्थान पर सुबह 9 बजे पढ़ा व समझा जाये।

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

न.नि.अ./एम.बी./22-23/2912 दिनांक: 22/03/2023

आपत्ति सूचना

श्श्री अनिल गुप्ता पुत्र श्री करम चन्द्र गुप्ता निवासी 147 आदर्श नगर अजमेर द्वारा एक सम्पति एक सम्पति ए.एम.सी. नं. 654/24 पदमा डेयरी के पास केसरगंज अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 243.09 व.मी. है भूमि के आवासीय से व्यावसायिक वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाऐं निम्नानुसार है।

पूर्व - ए.एम.सी. नं. 653/23 भगवानदास की — पश्चिम - ए.एम.सी. नं. 653/23 अनिल व भारती गुप्ता का
उत्तर - आम रास्ता 6.10 मीटर चौड़ा — दक्षिण - आम रास्ता 25.70 मीटर चौड़ा

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

न.नि.अ./एम.बी./22-23/2911 दिनांक: 22/03/2023

आपत्ति सूचना

श्री अनिल गुप्ता पुत्र श्री करम चन्द्र गुप्ता निवासी 147 आदर्श नगर अजमेर द्वारा एक सम्पति एक सम्पति ए.एम.सी. नं. 437/1 सीताराम बाजार केसरगंज अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 109.29 व.मी. है भूमि के आवासीय से व्यावसायिक वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं।प्रस्तावित भू-भाग की सीमाऐं निम्नानुसार है।

पूर्व - जायदाद ए.एम.सी. नं. 30/438 की। — पश्चिम - ए.एम.सी. 30/437
उत्तर - गली आम — दक्षिण - आम रास्ता

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स कमला मिनकेम, सी-104, रिको हाउसिंग कोलोनी, नरसिंहपुरा, अजमेर रोड, ब्यावर (राज) में स्थित थी जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 2016 से निम्न भागीदार चले आ रहे थे -

1. श्री मोहित भंसाली पुत्र श्री ओम प्रकाश भंसाली उम्र- 28, सी-104, रिको हाउसिंग कोलोनी, नरसिंहपुरा, अजमेर रोड, ब्यावर (राज)
2. श्रीमति धर्मिष्ठा भंसाली धर्मपत्नि श्री ओम प्रकाश भंसाली उम्र- 48, सी-104, रिको हाउसिंग कोलोनी, नरसिंहपुरा, अजमेर रोड, ब्यावर (राज)

उक्त भागीदारी में दिंनाक 18.03.2023 को निम्न परिवर्तन हुए है-

1. दिंनाक 18.03.2023 को निष्पादित रिटारमेन्ट कम पार्टनरशीप डीड से
1. श्री अभिषेक अग्रवाल पुत्र सम्पत राम अग्रवाल उम्र- 39, 106, आर्चि अरिहंत अपार्टमेन्ट, जे,के, हास्पिटल के पास, सौभागपुरा, उदयपुर (राज.)
2. श्री बसंतलाल रतीलाल औधाविया पुत्र रतीलाल हंसराजभाई औधाविया, उम्र- 51 मिथिला हिल्स - 401, एवेन्यु पार्क, रवापार रोड, मोरबी (गुजरात)
3. श्री जयेश मनसुखभाई कवार पुत्र श्री मनसुखभाई वसरमभाई कवार उम्र- 39, 31, अलाप पार्क, साइन्टिफिक बाडी के पास, वाजेपर मोरबी (गुजरात) को 18.03.2023 से नये भागीदार के रूप में भागीदारी मे सम्मिलित किया गया।
2. दिंनाक 18.03.2023 को शाम को श्री मोहित भंसाली पुत्र श्री ओम प्रकाश भंसाली व श्रीमति धर्मिष्ठा भंसाली धर्मपत्नि श्री ओम प्रकाश भंसाली अपनी स्वेच्छा से भागीदारी से सेवानिर्वत हो गये है।

अब इस फर्म मैसर्स कमला मिनकेम में निम्न भागीदारी में निम्न भागीदार रह गये है-

1. श्री अभिषेक अग्रवाल पुत्र सम्पत राम अग्रवाल उम्र- 39, 106, आर्चि अरिहंत अपार्टमेन्ट, जे, के, हास्पिटल के पास, सौभागपुरा, उदयपुर (राज.)
2. श्री बसंतलाल रतीलाल औधाविया पुत्र रतीलाल हंसराजभाई औधाविया, उम्र- 51 मिथिला हिल्स - 401, एवेन्यु पार्क, स्वापार रोड, मोरबी (गुजरात)
3. श्री जयेश मनसुखभाई कवार पुत्र श्री मनसुखभाई वसरमभाई कवार उम्र-39, 31, अलाप पार्क, साइन्टिफिक बाडी के पास, वाजेपर मोरबी (गुजरात)

इस सबंध में किसी भी सज्जन को कोई आपति हो तो सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर सम्पर्क करें। बाद अवधि कोई आपति स्वीकार्य नहीं होगी।

भवदीय- जयेश मनसुखभाई कवार (भागीदार)

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कोटड़ा योजना के अन्तर्गत आवासीय भूखण्ड जो कि ग्राम कोटड़ा के पुराना खसरा नम्बर 648 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 553/1404, 555 ,555/1376,556,783,785,786,व 787 भूमि का भाग है जिसका क्षेत्रफल 316.66 वर्गगज है उक्त भूखण्ड के स्वामी स्व.श्री बीरम पुत्र रामाजी रावत ने उक्त सम्पति स्व. श्री बीरम रावत द्वारा श्री मनमोहन कुमावत पुत्र श्री तुलसीराम कुमावत के हक में 5/08/1993 को एक वसीयतनामा निष्पादित किया गया जिसे नोटेरी पब्लिक श्री शौकत हुसैन के क्रम संख्या 7135 पर तस्दीक किया गया। मनमोहन कुमावत के पक्ष में की गई वसीयत के द्वारा श्रीमती रामेश्वरी कुमावत के हक में गिफ्ट डीड दिनांक 31/12/2018 आधार पर नियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदक के नाम नियमन की कार्यवाही पूर्ण की जा सकेगी।

नियमन प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राज.

क्रमांक/न.प.कि./भूमि/2023/68 दिनांक: 20-3-2023

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सतीश गर्ग पुत्र श्री कैलाश गर्ग निवासी ब्रज विहार मदनगंज किशनगढ़ ने भोगपडत (खांचा भूमि) जिसका कुल क्षेत्रफल 51.38 वर्गगज है जिसमें इन्होंने 125 वर्गगज का भूखण्ड पूर्व में खरीद किया है। जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार से है-

पूर्व में - अन्य कॉलोनी — पश्चिम में - प्लॉट नं. 11
उत्तर में - 30 फीट चौड़ी रोड़ — दक्षिण में - तिलक नगर कॉलोनी

अतः उक्त प्रकरण में किसी व्यक्ति /संस्था को आपत्ति/एतराज हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर नगर परिषद कार्यालय में लिखित में आपत्ति पेश करे बाद मियाद किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी। -आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नियमन/22-23/394 दिनांक: 21/03/2023

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है श्रीमति सीता देवी पत्नि श्री बिरदा सिंह निवासी फतेहपुरिया दोयम, भवानी कॉलोनी, ब्यावर में राजस्व ग्राम फतेहपुरिया दोयम के खसरा नम्बर 333 में स्थित भवानी कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 77 क्षेत्रफल 239.28 वर्गगज भूमि के आवासीय पट्टा विलेख प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के साथ सलंग्न ईकरारनामा कतई बेचान नोटरीशुदा है जिसमें भूखण्ड संख्या का अंकन नहीं है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा 100/- का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं शपथ पत्र के आधार पर भूखण्ड संख्या 77 क्षेत्रफल 239.28 वर्गगज के पट्टा विलेख बाबत् किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस के भीतर-भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। अन्यथा बाद मियाद आपत्ति विचारणीय नही होगी।

सीमायें (साईट प्लॉन के अनुसार)

पूर्व- रोड 20 फीट 6 इंच व 21 फीट 6 इंच — पश्चिम - प्लॉट नं. 78
उत्तर - रोड 20 फीट व 27 फीट — दक्षिण - प्लॉट नं. 76 — आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर

कार्यालय ग्राम पंचायत सरगॉव, पंचायत समिति किशनगढ़ (सिलोरा) अजमेर (राज)

क्रमांक- ग्रा.प.सं/2022-23/पट्टा/अनापत्ति/26 दिनांक 22.3.2023

अनापत्ति सूचना

ग्राम पंचायत क्षेत्र के राजस्व ग्रामों के जन साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कार्यालय में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1), 156, 158 के तहत आवासीय मकान/भूमि का पट्टा/विनियमितिकरण के तहत निम्नांकित आवेदनकर्ताओं ने आवेदन कर पट्टा चाहा गया है। जिस किसी व्यक्ति/सरकारी उपक्रमों को ऐजराज, आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि में ग्राम पंचायत कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर पेश करे। बाद मियाद गुजरने पर प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा और आवेदनकर्ताओं को पट्टा जारी कर दिया जाएगा, सूचित रहे।

क्र.सं.	पट्टा पत्रावली का विवरण नाम मय पिता का नाम, जाति	ग्राम	विवि
1.	मिश्रीलाल/श्योजी गुर्जर	नया गांव	-
2.	रामपाल/उगमा गुर्जर	नया गांव	-
3.	सुन्दा/श्योजी गुर्जर	नया गांव	-
4.	समन्दरनाथ/नन्दानाथ	जोगियो का नाडा	-
5.	लालनाथ/देवानाथ	जोगियो का नाडा	-
6.	कमलादेवी/जगदीशनाथ	जोगियो का नाडा	-
7.	मतानाथ/पप्पूनाथ	जोगियो का नाडा	-
8.	हरीराम/सूरजकरण गुर्जर	सरगांव	-
9.	शांतिदेवी/गोपाल गुर्जर	सरगांव	-
10.	महिपाल/सरदार गुर्जर	सरगांव	-
11.	भंवरलाल/हीरा वैष्णव	सरगांव	-
12.	छीतर/बिरदा गुर्जर	रामपुरा की ढाणी	-
13.	मोहन/प्रताप गुर्जर	सरगांव	-
14.	विश्राम/हरदेव गुर्जर	रामपुरा की ढाणी	-
15.	मंगल/हरजी गुर्जर	चांदणों की ढाणी सरगांव	-
16.	गोविन्दलाल/नन्दाराम गुर्जर	नया गांव	-
17.	रघुनाथ/श्योजी गुर्जर	चांदणों की ढाणी सरगांव	-
18.	देवाराम/बिरदीचन्द गुर्जर	रामपुरा की ढाणी	-
19.	सुखपाल/देवा गुर्जर	रामपुरा की ढाणी	-
20.	रामकरण/गोकुलचंद गुर्जर	नया गांव	-
21.	हेमराज/रामकरण गुर्जर	नया गांव	-
22.	अमरचन्द/लक्ष्मण गुर्जर	नया गांव	-

ग्राम विकास अधिकारी — सरपंच
ग्राम पंचायत सरगांव — ग्राम पंचायत सरगांव
पंचायत समिति किशनगढ़ (सिलोरा) — पंचायत समिति किशनगढ़ (सिलोरा)

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु द्वारा निष्पादित वसीयतनाम के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अजमेर विकास प्राधिकरण की (1) नौसर घाटी योजना के आवासीय/व्यावसायिक खसरा सख्या 132:133:134 भूखण्ड सख्या 14 a क्षैत्रफल 120 वर्गगज (2) कायड योजना के आवासीय भूखण्ड सख्या 25 खसरा न 3074 के क्षैत्रफल 222:22 वर्गगज के आवंटी /अन्तरिति श्रीमती ललिता पाराशर पत्नि श्री ओम प्रकाश पाराशर निवासी 116/24 बाबू मोहल्ला अजमेर की मृत्यु दिनांक 1/10/2019 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वसीयतनामा पंजीकृत 14/3/2016 पुस्तक सख्या 3 जिल्द संख्या 91 तथा पृष्ठ संख्या 602 से 610 चस्पा सलंग्न कर मृतक द्वारा निष्पादित वसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण हेतु श्री दिनेश पाराशर पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी 14 अ अमरदीप कॉलोनी वैशाली नगर अजमेर द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अजमेर द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त नामान्तरण किये जाने के संबध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें उक्त नियम अवधि पश्चात कोई आपति स्वीकार योग्य नही होगी व आवेदको के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राज.

क्रमांक/न.प.कि./PWC/2023-23/3451 दिनांक: 20-3-2023

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती आनन्द कंवर पत्नी श्री प्रताप सिंह, श्रीमती अनुराधा कंवर पत्नी श्री गोपाल सिंह, श्रीमती शशिबाला पत्नी श्री देवी सिंह, श्रीमती अल्पना पत्नी श्री शक्ति सिंह, द्वारा राजस्व ग्राम मदनगंज, भूखण्ड सं., क्षेत्रफल 2895.00 वर्गगज, खसरा सं. 552/1, खोडा गणेशजी रोड, मदनगंज किशनगढ़ पर आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड की सीमाएं निम्नानुसार है-

पूर्व में - आम रास्ता — पश्चिम में - खोड़ा गणेशजी रोड
उत्तर में - बेणावत फार्म — दक्षिण में - कृषि भूमि

अतः उक्त प्रकरण में किसी व्यक्ति /संस्था को आपत्ति/एतराज हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर नगर परिषद कार्यालय में लिखित में आपत्ति पेश करे बाद मियाद किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी। -आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नियमन/22-23/386 दिनांक: 21/03/2023

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है श्री भगवानलाल पुत्र श्री धन्नाराम एवं श्रीमति मीरा देवी पत्नि श्री धन्नाराम निवासी धोलादाता प्रथम, दुर्गावास तहसील ब्यावर ने राजस्व ग्राम फतेहपुरिया दोयम के खसरा नम्बर 701 में स्थित महादेव कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 14 क्षेत्रफल 133.50 वर्गगज भूमि के आवासीय पट्टा विलेख प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के साथ सलंग्न अपंजीकृत ईकरारनामा में भूखण्ड संख्या का अंकन नही है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा 500/- का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं शपथ पत्र के आधार पर भूखण्ड संख्या 14 क्षेत्रफल 133.50 वर्गगज के पट्टा विलेख बाबत् किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस के भीतर-भीतर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। अन्यथा बाद मियाद आपत्ति विचारणीय नही होगी।

सीमायें (साईट प्लॉन के अनुसार)

पूर्व- अन्य भूमि खसरा नं. 702 — पश्चिम - रोड 15 फीट
उत्तर - प्लॉट नं. 13 — दक्षिण - प्लॉट नं. 15 — आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की थोक मालियान राजस्व ग्राम बाडिया योजना के आवासीय/व्यावसायिक खसरा संख्या 9125 मकान नं. 19/38 क्षैत्रफल 200:83 वर्गगज के आवंटी/अन्तरिति श्री श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र भंवर लाल शर्मा निवासी अम्बे श्री कॉलोनी विज्ञान नगर आर्दश नगर अजमेर की मृत्यु दिनांक 2/6/2018 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट संलग्न कर मृतक के वारिसों क्रमश (1) श्रीमती मैना देवी पत्नि स्व श्री श्याम सुन्दर शर्मा (2) हेमलता जागिड पुत्री स्व श्याम सुन्दर शर्मा पत्नि अरूण कुमार जागिड अजमेर (3) श्रीमती सोनिया शर्मा पुत्री स्व श्याम सुन्दर शर्मा पत्नि विकास शर्मा बिहारी गंज अजमेर (4) श्री आशीष शर्मा पुत्र स्व श्याम सुन्दर शर्मा निवासी 19/38 अम्बे श्री कॉलोनी विज्ञान नगर आर्दश नगर अजमेर द्वारा अपने सहहिस्सेदार श्री आशीष शर्मा पुत्र स्व श्याम सुन्दर शर्मा निवासी 19/38 अम्बे श्री कॉलोनी विज्ञान नगर आर्दश नगर अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 6/2/23 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त नामान्तरण किये जाने के संबध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज कराये उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपति स्वीकार योग्य नही होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राज.

क्रमांक/न.प.कि./भूमि/2023/74 दिनांक: 20-3-2023

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमति सुनीता गर्ग पत्नी श्री सत्यनारायण गर्ग निवासी ब्रज विहार मदनगंज किशनगढ़ ने भोगपडत (खांचा भूमि) जिसका कुल क्षेत्रफल 81.94 वर्गगज है जिसमें इन्होंने 125 वर्गगज का भूखण्ड पूर्व में खरीद किया है। जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार से है -

पूर्व में - प्लॉट नं. 09 — पश्चिम में - प्लॉट नं. 07
उत्तर में - 30 फीट चौड़ी रोड़ — दक्षिण में - तिलक नगर कॉलोनी

अतः उक्त प्रकरण में किसी व्यक्ति /संस्था को आपत्ति/एतराज हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर नगर परिषद कार्यालय में लिखित में आपत्ति पेश करे बाद मियाद किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी। -आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़

आम सूचना

सर्वसम्मत को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किला श्रीमति कोशल्या देवी लखारा पत्नि सुरेन्द्र कुमार लखारा निवासी-बीच गली, हुडा रोड, गुलाबपुरा जिला भीलवाडा राजस्थान अपने पूर्ण होश हवास, चित्त मन से अपने पुत्र मनीष लखारा पुत्र सरेन्द्र कुमार लखारा व मेरी पुत्रवधू रेखा पत्नि मनीष लखारा पोत्र विनय लखारा पुत्र मनीष लखारा को अपनी सम्पूर्ण जायदाद उनके व्यवहार के कारण उनको बेदखल करती हूँ तथा हमारे पुत्र मनीष लखारा पुत्र सरेन्द्र कुमार लखारा व मेरी पुत्रवधू रेखा पत्नि मनीष लखारा पोत्र विनय लखारा पुत्र मनीष लखारा का आज से पूर्व व आज के बाद मेरा व मेरे परिवार से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध वे लेनादेना नहीं रहेगा तथा हमारे बीच के सभी सम्बन्ध खत्म करती हूँ। आज के बाद व पूर्व कोई भी व्यक्ति पुत्र मनीष लखारा पुत्र सरेन्द्र कुमार लखारा व मेरी पुत्रवधू रेखा पत्नि मनीष लखारा पोत्र विनय लखारा पुत्र मनीष लखारा से कोई व्यवहार, लेनदेन करता था / करता है तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार रहेगा उसमें मेरी मुवक्किला की कोई जिम्मेदारी नही होंगी भविष्य मे पुत्र मनीष लखारा पुत्र सरेन्द्र कुमार लखारा व मेरी पुत्रवधू रेखा पत्नि मनीष लखारा पौत्र विनय लखारा पुत्र मनीष लखारा का मेरी चल अचल सम्पत्ति में कोई हक अधिकार नही होगा तथा उनके द्वारा मेरी चल अचल सम्पत्ति में किसी प्रकार की उजरदारी की जाती है तो वो इस आम सूचना के शून्य मानी जावेगी।

-सावरनाथ योगी (एडवोकेट)
मो.नं. 9829084812, 9529199999

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राज.

क्रमांक/न.प.कि./भूमि/2023/62-64 दिनांक: 20-3-2023

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सतीश गर्ग पुत्र श्री कैलाश गर्ग निवासी ब्रज विहार मदनगंज किशनगढ़ ने भोगपडत (खांचा भूमि) जिसका कुल क्षेत्रफल 132 वर्गगज है जिसमें इन्होंने 180 वर्गगज का भूखण्ड पूर्व में खरीद किया है। जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार से है-

पूर्व में - प्लॉट नं. 08 — पश्चिम में - 60 फीट चौड़ी रोड़
उत्तर में - 30 फीट चौड़ी रोड़ — दक्षिण में - तिलक नगर कॉलोनी

अतः उक्त प्रकरण में किसी व्यक्ति /संस्था को आपत्ति/एतराज हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर नगर परिषद कार्यालय में लिखित में आपत्ति पेश करे बाद मियाद किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी। -आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राज.

क्रमांक/न.प.कि./भूमि/2023/71 दिनांक: 20-3-2023

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सतीश गर्ग पुत्र श्री कैलाश गर्ग निवासी ब्रज विहार मदनगंज किशनगढ़ ने भोगपडत (खांचा भूमि) जिसका कुल क्षेत्रफल 59.72 वर्गगज है जिसमें इन्होंने 125 वर्गगज का भूखण्ड पूर्व में खरीद किया है। जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार से है-

पूर्व में - प्लॉट नं. 12 — पश्चिम में - प्लॉट नं. 10
उत्तर में - 30 फीट चौड़ी रोड़ — दक्षिण में - तिलक नगर कॉलोनी

अतः उक्त प्रकरण में किसी व्यक्ति /संस्था को आपत्ति/एतराज हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर नगर परिषद कार्यालय में लिखित में आपत्ति पेश करे बाद मियाद किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी। -आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राज.

क्रमांक/न.प.कि./भूमि/2023/66 दिनांक: 20-3-2023

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सतीश गर्ग पुत्र श्री कैलाश गर्ग निवासी ब्रज विहार मदनगंज किशनगढ़ ने भोगपडत (खांचा भूमि) जिसका कुल क्षेत्रफल 68.05 वर्गगज है जिसमें इन्होंने 125 वर्गगज का भूखण्ड पूर्व में खरीद किया है। जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार से है-

पूर्व में - प्लॉट नं. 11 — पश्चिम में - प्लॉट नं. 09
उत्तर में - 30 फीट चौड़ी रोड़ — दक्षिण में - तिलक नगर कॉलोनी

अतः उक्त प्रकरण में किसी व्यक्ति /संस्था को आपत्ति/एतराज हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर नगर परिषद कार्यालय में लिखित में आपत्ति पेश करे बाद मियाद किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी। -आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राज.

क्रमांक/न.प.कि./भूमि/2023/77 दिनांक: 20-3-2023

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमति सुनीता गर्ग पत्नी श्री सत्यनारायण गर्ग निवासी ब्रज विहार मदनगंज किशनगढ़ ने भोगपडत (खांचा भूमि) जिसका कुल क्षेत्रफल 75 वर्गगज है जिसमें इन्होंने 125 वर्गगज का भूखण्ड पूर्व में खरीद किया है। जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार से है -

पूर्व में - प्लॉट नं. 10 — पश्चिम में - प्लॉट नं. 08
उत्तर में - 30 फीट चौड़ी रोड़ — दक्षिण में - तिलक नगर कॉलोनी

अतः उक्त प्रकरण में किसी व्यक्ति /संस्था को आपत्ति/एतराज हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर नगर परिषद कार्यालय में लिखित में आपत्ति पेश करे बाद मियाद किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी। -आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़

कार्यालय नगर पालिका गुलाबपुरा (भीलवाडा)

क्रमांक : तामीरात/2870 दिनांक : 20.3.23

उजरदारी नोटिस

श्रीमती जगदीश गुर्जर पिता श्री रूपलाल गुर्जर निवासी बावलों का खेडा मयूर कालोनी भू.सं. 2 व 19 (25x110 फीट)का हिस्सा पश्चिमी द्वारा पालिका कार्यालय में भवन निर्माण स्वीकृति हेतु/भूखण्ड हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः इस सूचना पत्र के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रसारित की जाती है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त भवन निर्माण स्वीकृति/भूखण्ड हस्तान्तरण के संबंध में कोई आपत्ति हो तो लिखित रूप में मय दस्तावेजी प्रमाणों को संलग्न करते हुए एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत कर दें। उक्त अवधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। पत्रावली एवं दस्तावेजो का निरीक्षण कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के समय देखा जा सकता है।

पडौस विवरण:

पूर्व : खाली जमीन बाद रोड — पश्चिम : आम रास्ता 30 फीट
उत्तर : भू.सं. 1 व